प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिलाः**– ए.सी.बी. एस.यू. कोटा **थाना :–** प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या 509/22 **दिनांक** 30/12/2022
2. (A) **'अधिनियम**–पी.सी.(संशोधित)एक्ट 2018 **धारायें**– 7 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018
(B) **'अधिनियम –** .....**'धारायें –** .....
(C) **'अधिनियम**.....**'धारायें**.....
(D) **'अन्य अधिनियम धारायें**.....
3. **(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या**.....610.....**समय**.....6:30 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन :–बुधवार **दिनांक :–**14.09.2022 **समय :–**करीब 09:00 पीएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 13.09.2022 **समय** : 06:00 पीएम
4. **सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक** – लिखित (हस्तलिखित)
5. **घटना स्थलः–**
(अ) पुलिस थाना/चौकी से दिशा व दूरीः– बजानिब उत्तर पूर्व दिशा, लगभग 05 कि.मी.
(ब) पता :– आरोपी का मकान, पूनम कॉलोनी, कोटा
जरायम देही संख्या.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना – भीमगंजमण्डी **जिला** – कोटा शहर
6. **परिवादी/सूचनाकर्ता :–**
(अ) नामः– श्री परमपाल सिंह
(ब) पिता का नाम – श्री हरवंश सिंह हन्स
(स) जन्म तिथी/ उम्र :– 38 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या.....**जारी होने की तिथी**.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय– मेडिकल स्टोर संचालक एवं दवा सप्लायर
(ल) पता – म.नं. 77–78, रणजीत कॉलोनी, गुरूद्वारे के पास, सोगरिया रोड़, कोटा
7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–**
श्री बृजमोहन मीना पुत्र श्री रामसिया मीना जाति मीना उम्र 49 साल निवासी ग्राम सेवला पोस्ट बागली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल फार्मासिस्ट, मण्डल रेल चिकित्सालय, कोटा
8. **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–**..... शून्य..
9. **चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).**
10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य**. :– 60,000 रूपये .....
11. **पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)**.....
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–**

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 13.09.2022 को समय 06:00 पीएम पर परिवादी श्री परमपाल सिंह पुत्र श्री हरवंश सिंह हन्स जाति सिक्ख उम्र 38 साल निवासी म.नं. 77–78, रणजीत कॉलोनी, गुरूद्वारे के पास, सोगरिया रोड़, कोटा मय सहपरिवादी श्री आनन्द यादव पुत्र श्री दिलीप यादव जाति अहीर उम्र 25 साल निवासी ई.एस.आई. हॉस्पीटल के पीछे, थाना विज्ञान नगर, कोटा के कार्यालय हाजा पर मन् उप अधीक्षक पुलिस एसीबी एसयू कोटा के समक्ष उपस्थित आया। परिवादी श्री परमपाल सिंह ने एक लिखित प्रार्थना इस आशय का पेश किया कि "मैं परमपाल सिंह पुत्र श्री हरवंश सिंह जाति सिक्ख उम्र 38 साल निवासी म.नं. 77–78, रणजीत कॉलोनी, गुरूद्वारे के पास, सोगरिया रोड़, कोटा जं0 का रहने वाला हूँ। मेरी फर्म श्री गुरू गोविन्द मेडिकॉज एण्ड जनरल स्टोर कुन्हाड़ी में है। मेरी फर्म का काम रेल्वे हॉस्पीटल कोटा में दवाईयाँ सप्लाई करने का है। दवाई सप्लाई करने का टेन्डर 03.03.2022 से चल रहा है। मेरी फर्म के अलावा आंचल मेडिकल पुलिस लाईन कोटा द्वारा भी रेलवे हॉस्पीटल में दवाईयाँ सप्लाई की जाती है। आंचल मेडिकल वालों को गलत तरीके से टेन्डर आवंटित किया गया है। टेन्डर आवंटन में भी हॉस्पीटल प्रशासन द्वारा धांधली की गई है। रेलवे हॉस्पीटल मेडिकल स्टोर में कार्यरत बृजमोहन मीणा सीनियर फार्मासिस्ट हमारी फर्म के दवाईयों के बिल

चैक कर आगे फॉरवर्ड करने का काम इसी का है। हमारी दवाईयों में कोई कमी नहीं निकालने एवं इनके बिलों को पास करवाने की एवज में हमारे से 5 प्रतिशत कमीशन की मांग करता है। इससे पहले भी वह जबरदस्ती हमारे से यू.पी.आई. के माध्यम से करीब 15,000 रूपये ले चुका है। अभी हमारी फर्म का करीब 19 चैक का करीब 19 लाख रूपये का भुगतान हमारी फर्म को हो रखा है। जिसकी एवज में 5 प्रतिशत करीब 76,000 रूपये की मांग कर रहा है। हम उसको रिश्वत नहीं देना चाहते, उसको हम रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहते हैं। हमारी बृजमोहन मीणा से पहले कोई रंजीश नहीं है और न ही हमने उससे कोई पैसे ले रखे हैं।" परिवादी श्री परमपाल सिंह से पूछताछ करने पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया एवं प्रार्थना में अंकित तथ्यों की ताईद की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरयाप्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से परिवादी श्री परमपाल सिंह एवं सहपरिवादी श्री आनन्द यादव को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन की प्रक्रिया समझाई जाकर परिवादीगण को आरोपी के पास जाकर स्वयं के कार्य तथा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में स्पष्ट वार्ता कर वार्ता को कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु समझाया गया तो परिवादी ने कहा कि आज मुझे जरूरी काम है एवं शाम का समय हो जाने से आरोपी बृजमोहन मीणा के भी उसके कार्यालय में मिलने की सम्भावन कम है, इसलिए मैं व आनन्द दोनों कल दिनांक 14.09.2022 को आरोपी बृजमोहन मीणा के पास गोपनीय सत्यापन हेतु जायेंगे। इस पर परिवादीगण को मामले की गोपनीयता बनाये रखने एवं कल दिनांक 14.0.2022 को कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने की समझाईश कर रूखसत किया गया।

दिनांक 14.09.2022 को समय 08:00 पीएम पर परिवादी श्री परमपाल सिंह मय सहपरिवादी श्री आनन्द यादव के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि आरोपी बृजमोहन मीणा चीफ फार्मासिस्ट रेलवे हॉस्पीटल कोटा ने हमें रिश्वत के सम्बन्ध में बातचीत के लिए उसके घर पर अभी ही बुलाया है। इस पर परिवादीगण का परिचय श्री अभिषेक कानि. 197 से करवाया गया। कार्यालय के मालखाना से सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकलवाया जाकर परिवादी व सहपरिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की विधिवत प्रक्रिया समझाई जाकर सोनी कम्पनी का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी श्री परमपाल सिंह को सुपुर्द किया गया। परिवादीगण को आरोपी से अपने कार्य एवं रिश्वत राशि के संबंध में स्पष्ट वार्ता करने व वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की समझाईश की गई। श्री अभिषेक कानि. 197 को आरोपी व परिवादीगण के बीच होने वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की निगरानी यथासंभव निकट रहकर करने के निर्देश दिये। परिवादीगण व कानि. को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु आरोपी के निवास पूनम कॉलोनी कोटा हेतु रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉईस रिकार्डर पृथक से नियमानुसार तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 10:30 पीएम पर परिवादी श्री परमपाल सिंह, उसका साथी श्री आनन्द यादव एवं श्री अभिषेक कानि. 197 कार्यालय हाजा वापस आये। परिवादी श्री परमपाल सिंह ने अपने पास से डिजीटल वॉईस रिकार्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर बताया कि "मैं मेरे साथी आनन्द यादव व श्री अभिषेक कानि. के साथ पूनम कॉलोनी कोटा में आरोपी बृजमोहन मीणा के निवास के पास पहुंचा। श्री अभिषेक कानि. आरोपी के मकान से कुछ दूरी पर रूक गये थे। मैने डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू करके मैं व आनन्द यादव दोनों आरोपी के मकान के बाहर पहुंचे। आरोपी उसके मकान के बाहर आया तथा हमारे साथ हमारी कार में बैठ गया। आरोपी बृजमोहन मीणा ने हमारे पास किये गये करीब 19 बिलों के करीब 19 लाख रूपये के 5 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग कर बाद में 4 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि 76,000 रूपये की मांग की। हमारे द्वारा बार–बार रिश्वत राशि कम करने का निवेदन करने पर आरोपी बृजमोहन मीणा बड़ी मुश्किल से 60,000 हजार रूपये रिश्वत लेते हेतु सहमत हुआ तथा पूरी रिश्वत राशि 60,000 रूपये एक बार में ही देने के लिए कहा है। इसके पश्चात् बृजमोहन मीणा कार से उतरकर चला गया तथा वहां से रवाना होकर हम दोनों श्री अभिषेक कानि. के साथ कार्यालय पर वापस आये हैं। हमारे मध्य जो भी बातचीत हुई है, वह सारी बातचीत मैने आपके सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू करके उसमे रिकार्ड कर ली है।" श्री अभिषेक कानि. से पूछने पर कानि0 ने परिवादी के कथनों की ताईद करते हुये बताया कि "मैं परिवादीगण के साथ पूनम कॉलोनी में पहुंचा। आरोपी के मकान से कुछ दूरी पहले में रूक गया था। परिवादीगण अपनी कार से आरोपी के मकान के बाहर गये थे, जहां पर एक व्यक्ति उसके मकान से बाहर आया तथा परिवादीगण के साथ कार में बैठ गया। इसके थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति कार से उतरकर उसके मकान में

चला गया तथा परिवादीगण मेरे पास वापस आये। जिनके साथ में वापस कार्यालय में आ गया।" मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू कर उसमें रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्ठि हुई। तत्पश्चात् परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पास आरोपी को रिश्वत में देने हेतु 60,000 रूपयों की व्यवस्था नहीं है, मैं शीघ्र ही राशि की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादीगण को ट्रेप कार्यवाही हेतु राशि 60,000 रूपये की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित आने एवं मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखसत किया गया। डिजीटल वॉईस रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। परिवादीगण के उपस्थित आने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉईस रिकार्डर पृथक से नियमानुसार तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 24.09.2022 को समय 11:00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197 के मोबाईल से परिवादी के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर परिवादी से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया किन्तु परिवादी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया।

दिनांक 06.10.2022 को समय 11:00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197 के मोबाईल से परिवादी के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर परिवादी से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया किन्तु परिवादी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। परिवादी के मोबाईल पर पुनः कॉल किया गया किन्तु परिवादी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया।

दिनांक 19.10.2022 को समय 03:00 पीएम पर श्री अभिषेक कानि. 197 को परिवादी श्री परमपाल सिंह से अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क करने हेतु परिवादी के मेडिकल स्टोर कुन्हाड़ी हेतु रवाना किया गया। समय 05:00 पीएम पर श्री अभिषेक कानि. 197 रवानाशुदा कार्यालय हाजा उपस्थित आया तथा बताया कि "मैं कार्यालय से रवाना होकर परिवादी के मेडिकल स्टोर पर कुन्हाड़ी पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री परमपाल सिंह उपस्थित मिला। परिवादी ने बताया है कि वह अपने स्टोर के काम में व्यस्त होने से कार्यालय पर नहीं आ सका, वह जल्दी ही कार्यालय पर उपस्थित हो जायेगा। इस पर मैं रवाना होकर वापस आया हूँ।"

दिनांक 31.10.2022 को समय 10:42 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197 के मोबाईल से परिवादी के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर परिवादी से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया किन्तु परिवादी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। परिवादी को पुनः कॉल किया गया किन्तु परिवादी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया।

दिनांक 02.11.2022 को समय 11:00 एएम पर श्री अभिषेक कानि. 197 व श्री लालचन्द कानि. 30 को परिवादी श्री परमपाल सिंह से अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क करने हेतु परिवादी के मेडिकल स्टोर कुन्हाड़ी हेतु रवाना किया गया। समय 12:30 पीएम पर श्री अभिषेक कानि. 197 व श्री लालचन्द कानि. 30 रवानाशुदा कार्यालय हाजा उपस्थित आये तथा बताया कि "हम कार्यालय से रवाना होकर परिवादी के मेडिकल स्टोर पर कुन्हाड़ी पहुंचे किन्तु परिवादी वहां पर उपस्थित नहीं मिला। हमने कुछ देर इंतजार किया किन्तु स्टोर पर काम कर रहे एक व्यक्ति ने बताया कि परमपाल जी बाहर गये हैं, यहां नहीं हैं। हमने परिवादी श्री परमपाल सिंह के मोबाईल पर भी कॉल किया किन्तु उसने हमारा कॉल रिसीव नहीं किया। इस पर रवाना होकर वापस आये हैं।"

दिनांक 11.11.2022 को समय 12:15 पीएम पर श्री अभिषेक कानि. 197 व श्री बबलेश कानि. 261 को परिवादी श्री परमपाल सिंह से अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क करने हेतु परिवादी के मेडिकल स्टोर कुन्हाड़ी हेतु रवाना किया गया। समय 04:00 पीएम पर श्री अभिषेक कानि. 197 व श्री बबलेश कानि. 261 रवानाशुदा कार्यालय हाजा वापस आये तथा बताया कि "हम कार्यालय से रवाना होकर परिवादी के मेडिकल स्टोर पर कुन्हाड़ी पहुंचे। जहां पर परिवादी श्री परमपाल सिंह उपस्थित मिले। परिवादी ने बताया कि बीच में मैं मेरे मेडिकल का काम में व्यस्त हो गया था तथा अभी दिसम्बर के फर्स्ट वीक में मेरी शादी भी है। इसलिए जैसे ही मुझे टाईम मिलेगा तो मैं जल्दी ही आपके कार्यालय पर उपस्थित हो जाउंगा।"

दिनांक 08.12.2022 को समय 12:05 पीएम पर श्री अभिषेक कानि. 197 व श्री लालचन्द कानि. 30 को परिवादी श्री परमपाल सिंह से अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क करने हेतु परिवादी के मेडिकल स्टोर कुन्हाड़ी हेतु रवाना किया गया। समय 01:30 पीएम पर श्री अभिषेक कानि. 197 व श्री लालचन्द कानि. 30 रवानाशुदा कार्यालय हाजा वापस आये तथा बताया कि "हम कार्यालय से रवाना होकर परिवादी के मेडिकल स्टोर पर कुन्हाड़ी पहुंचे। जहां पर परिवादी श्री परमपाल सिंह उपस्थित नहीं मिला, सहपरिवादी श्री आनन्द यादव उपस्थित मिला। जिसने बताया कि परमपाल जी शादी के बाद घूमने के लिए गोवा गये हुये हैं, वह जैसे ही कोटा आयेंगे, हम दोनों आपके कार्यालय पर उपस्थित हो जायेंगे।"

दिनांक 20.12.2022 को समय 04:00 पीएम पर परिवादी श्री परमपाल सिंह मय सहपरिवादी श्री आनन्द यादव के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि "आरोपी बृजमोहन मीणा चीफ फार्मासिस्ट रेलवे हॉस्पीटल कोटा को मुझ पर शक हो गया है इसलिए वह ना तो मुझसे रिश्वत की मांग कर रहा है और ना ही मुझसे कोई बातचीत ही कर रहा है। मैनें उसकी शिकायत विजिलेंस विभाग में भी कर दी है, इसलिए वह अब मुझसे रिश्वत राशि नहीं लेगा।" परिवादी के बताये हालात अनुसार अब ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होने की सम्भावना नहीं होने से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से समय 04:10 पीएम पर श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 को श्रीमान उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, कोटा के नाम तहरीर देकर दो सरकारी कर्मचारी लाने हेतु रवाना किया गया। समय 04:40 पीएम पर श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 रवानाशुदा मय दो सरकारी कर्मचारी कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, कोटा से साथ लेकर कार्यालय हाजा वापस आया। दोनों कर्मचारीगण से उनका परिचय पूछा गया तो एक ने अपना नाम विशाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 43 साल निवासी 812, महावीर नगर द्वितीय, थाना महावीर नगर, कोटा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कोटा होना बताया। दूसरे ने कर्मचारी ने अपना नाम कौशल किशोर राठौर पुत्र श्री नन्दकिशोर राठौर जाति तेली उम्र 33 साल निवासी 1052, विवेकानन्द नगर, थाना आर.के. पुरम, कोटा हाल सूचना सहायक कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कोटा होना बताया। कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री परमपाल सिंह व सहपरिवादी श्री आनन्द यादव से दोनों सरकारी कर्मचारीगण श्री विशाल शर्मा व श्री कौशल किशोर राठौर का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी श्री परमपाल सिंह द्वारा दिनांक 13.09.2022 को प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र दोनो कर्मचारियों को पढ़कर सुनाया गया तथा कार्यवाही के संक्षिप्त हालात से अवगत करवाया गया। दोनों कर्मचारीगण से अग्रिम कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाहने पर दोनो कर्मचारियों ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। तत्पश्चात् उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढ़कर उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 05:00 पीएम पर कार्यालय के मालखाना से सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकलवाया जाकर परिवादी श्री परमपाल सिंह, सहपरिवादी श्री आनन्द यादव, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल शर्मा एवं श्री कौशल किशोर राठौर के समक्ष कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी श्री परमपाल सिंह, सहपरिवादी श्री आनन्द यादव एवं आरोपी श्री बृजमोहन मीणा चीफ फार्मासिस्ट रेलवे हॉस्पीटल कोटा के मध्य दिनांक 14.09.2022 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197 से लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी, सहपरिवादी व दो स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया तथा वार्ता की हु–ब–हु फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता नियमानुसार तैयार की जाकर प्रिन्ट निकलवाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त रिकार्ड वार्ता में परिवादी श्री परमपाल सिंह ने एक आवाज स्वयं की, दूसरी आवाज सहपरिवादी श्री आनन्द यादव की तथा तीसरी आवाज आरोपी श्री बृजमोहन मीणा की होना पहचान की। फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। समय 10:00 पीएम पर परिवादी, सहपरिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर से लेपटॉप में सेव की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी श्री परमपाल सिंह, सहपरिवादी श्री आनन्द यादव एवं आरोपी श्री बृजमोहन मीणा चीफ फार्मासिस्ट रेलवे हॉस्पीटल कोटा के मध्य दिनांक 14.09.2022 को हुई थी एवं परिवादी द्वारा सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी, उक्त वार्ता के कार्यालय के लेपटॉप से श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197 के द्वारा 04 पेन ड्राईव तैयार करवाये गये। प्रथम पेन ड्राईव वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिए, द्वितीय पेन ड्राईव आरोपी के लिए, तृतीय पेन ड्राईव नमूना आवाज कार्यवाही के लिए अलग–अलग कपड़े की थैली में रखे जाकर सील मोहर किये गये एवं कपडे की थेली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। चतुर्थ पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड रखा गया। फर्द डबिंग वार्ता व जप्ती पेन ड्राईव पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। सील्डशुदा पेन ड्राईव तीन व एक अनशील्ड को सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। समय 10:20 पीएम पर परिवादी श्री परमपाल सिंह ने बताया कि "आरोपी श्री बृजमोहन मीणा चीफ फार्मासिस्ट रेलवे हॉस्पीटल कोटा को मुझ पर शक हो गया है तथा मैने उसकी शिकायत विजिलेंस विभाग में भी कर दी है, इसलिए वह अब मुझसे रिश्वत राशि नहीं लेगा।" चूंकि परिवादी के बताये अनुसार हालात से अब आरोपी के विरूद्ध ट्रेप

कार्यवाही पूर्ण होने की सम्भावना नहीं है। अतः परिवादी, सहपरिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय से सकुशल रूखसत किया गया।

उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी श्री परमपाल सिंह की फर्म श्री गुरू गोविन्द मेडिकॉज एण्ड जनरल स्टोर कुन्हाड़ी का रेलवे हॉस्पीटल कोटा में दवाईयाँ सप्लाई करने का टेण्डर दिनांक 03.03.2022 से चल रहा है। रेलवे हॉस्पीटल मेडिकल स्टोर में कार्यरत श्री बृजमोहन मीणा चीफ फार्मासिस्ट द्वारा परिवादी की फर्म द्वारा सप्लाई की जा रही दवाईयों के बिल चैक कर आगे फॉरवर्ड करने, दवाईयों में कोई कमी नहीं निकालने एवं उनके बिलों को पास करवाने की एवज में परिवादी से 5 प्रतिशत कमीशन की मांग की गई तथा पूर्व में पास किये गये बिलों का कमीशन देने के पश्चात् ही नये बिल पास करने हेतु कहा गया। परिवादी द्वारा दिनांक 13.09.2022 को कार्यालय एसीबी एसयू कोटा पर उपस्थित होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को शिकायत करने पर दिनांक 14.09.2022 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। जिसमें आरोपी श्री बृजमोहन मीणा चीफ फार्मासिस्ट द्वारा परिवादी की फर्म के पास किये गये करीब 19 बिलों के करीब 19 लाख रूपये के 5 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग कर बाद में 4 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि 76,000 रूपये की मांग की गई, परिवादीगण के द्वारा बार–बार रिश्वत राशि कम करने का निवेदन करने पर आरोपी श्री बृजमोहन मीणा बड़ी मुश्किल से 60,000 हजार रूपये रिश्वत लेते हेतु सहमत हुआ तथा पूरी रिश्वत राशि 60,000 रूपये एक बार में ही देने के लिए कहा गया। तत्पश्चात् आरोपी को किसी कारण से परिवादी पर शक हो जाने एवं परिवादी द्वारा आरोपी की शिकायत विजिलेंस विभाग में कर देने के कारण ट्रेप कार्यवाही का आयोजन नहीं किया जा सका। परिवादी ने आरोपी श्री बृजमोहन मीणा चीफ फार्मासिस्ट पर धांधली कर नियम विरूद्ध तरीके से आंचल मेडिकल पुलिस लाईन कोटा से भी दवाईयां सप्लाई करवाने का आरोप लगाया है, जो जांच का विषय है।

इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री बृजमोहन मीना पुत्र श्री रामसिया मीना जाति मीना उम्र 49 साल निवासी ग्राम सेवला पोस्ट बागली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल फार्मासिस्ट, मण्डल रेल चिकित्सालय, कोटा का उक्त कृत्य जुर्मधारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपी श्री बृजमोहन मीना फार्मासिस्ट, मण्डल रेल चिकित्सालय, कोटा के विरूद्ध जुर्मधारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(धर्मवीर सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट., कोटा

परिशिष्ठ "द"
अधिकारी/कर्मचारी का सेवा–विवरण

1.	नाम/पिता का नाम	ब्रज मोहन मीना पुत्र रामसिया मीना
2.	पदनाम	वरि. फार्मासिस्ट
3.	वर्तमान पदस्थापन	मण्डल रेल चिकित्सालय कोटा
4.	जन्म तिथि	05.07.1973
5.	मूल सेवा संवर्ग	RRB - BNC
6.	सामान्य प्रावधायी निधि (जी.पी.एफ.) खाता संख्या	421-ZE090050
7.	प्रथम नियुक्ति दिनांक	05.06.2009
8.	सेवानिवृति दिनांक	31-07.2033
9.	स्थाई पता	ग्राम सेवला पोस्ट आगरी तह. गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर
10.	कर्मचारी क्रमांक आई.डी.	421-ZE090050
11.	ईमेल आई.डी.	brijnewtech@gmail.com
12.	मोबाईल नम्बर (प्राथमिक)	9019360110
13.	वेतन श्रृंखला मय मूल वेतन	9300-34800+4200 ग्रेड पे मूल वेतन 52000/-
14.	वेतन वृद्धि का दिनांक	01.01.2022
15.	नियुक्ति अधिकारी का पदनाम	सहायक कार्मिक अधिकारी
16.	सेवा से पृथक करने वाले सक्षम अधिकारी का पदनाम	वरिष्ठ मण्डल चिकित्सा अधिकारी
17.	निलम्बन की स्थिति में – 1. निलम्बन की दिनांक 2. बहाली की दिनांक	NIL
18.	क्या समान तथ्यों पर कोई फौजदारी प्रकरण लम्बित है, यदि हां तो विवरण – 1. एफ.आई.आर. संख्या – 2. अन्तर्गत धारा –	NIL
19.	लम्बित अनुशासनिक जॉच कार्यवाहीयों का विवरण – 1. ज्ञापन क्रमांक – 2. दिनांक – 3. अनुशासनिक प्राधिकारी – 4. वर्तमान स्थिति –	NIL
20.	पूर्व में कोई दण्ड दिया गया है तो उसका विवरण – 1. दण्डादेश क्रमांक/दिनांक – 2. अनुशासनिक प्राधिकारी – 3. दण्ड का विवरण –	NIL

30/12/22

नाम व पद नाम मय सील
जारी कर्ता अधिकारी

सहायक कार्मिक अधिकारी
Assistant Personnel Officer
कोटा प. मध्य रेल्वे
KOTA W. C. Rly.

Hitesh Kr. - 9588990466

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री धर्मवीर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री बृजमोहन मीना, फार्मासिस्ट, मण्डल रेल चिकित्सालय, जिला कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 509/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक-: 4262-65 दिनांक 30.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. वरिष्ठ मण्डल चिकित्सा अधिकारी, कोटा पश्चिम रेल्वे, कोटा।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, कोटा।

30.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।